

पारदर्शी किसान सेवा योजना में पंजीकरण करवाकर किसान लाभ उठाएँ

November 25, 2014 - [उत्तर प्रदेश, राज्य](#)

एम. मुश्ताक बेग, लखनऊ- उत्तर प्रदेश में किसानों को कृषि संबंधित योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिये 'पारदर्शी किसान सेवा योजना' संचालित की जा रही है। योजना में अपना पंजीकरण करवा कर किसानों को बीज, कृषि यंत्र, कृषि रक्षा रसायन, मजदूरी, भूमि उपचार, फार्म स्कूल, कृषक प्रशिक्षण, प्रदर्शन आदि से संबंधित अनुदान का लाभ नकद सीधे उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराया जायेगा। कृषि निदेशक ए0के0 बिश्नोई से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार कृषि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिये संकल्पबद्ध है। उन्होंने बताया कि पारदर्शी किसान सेवा योजना से किसान का अधिकार किसान के द्वार तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें पारदर्शी चयन प्रक्रिया से कमजोर किसानों को लाभ वितरण में वरीयता दी जायेगी। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग के अनुरूप विभागीय रणनीति का चयन एवं लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि तथा किस किसान को कितना लाभ दिया गया, इसका विवरण पूर्ण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहेगा। कृषि निदेशक ने बताया कि योजना के अन्तर्गत लाभ पाने के लिये पंजीकरण टॉल फ्री नम्बर 1800-200-1050 पर मिस कॉल करके, पंजीकरण फार्म भरकर राजकीय गोदाम अथवा जनपदीय उपकृषि निदेशक के कार्यालय में पंजीयन संख्या मिलने के उपरांत 7 दिन के अंदर जमा करवायें। कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑन लाइन आवेदन भी कर सकते हैं। पंजीकरण के लिये तीन कागजों की फोटो कॉपी जरूरी है- भूमि पहचान हेतु खतौनी (मजदूरी के लिये नहीं), किसान पहचान के लिये राशन कार्ड/वोटर कार्ड/आधार कार्ड या पासपोर्ट में से कोई

भी एक तथा लाभ पहुंचाने के लिये बैंक पासबुक का पहला पन्ना जिस पर खाता धारक का विवरण होना चाहिये। तीनों कागजों पर अपनी पंजीकरण संख्या अवश्य लिखी जाये। इस योजना से कुछ विशेष किसानों और मजदूरों को ही बार-बार लाभ प्रदान करने की योजना पर रोक लगेगी।